1·6

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.00 कि.मी.) (0.9675है0)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जनता
तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **अल्मोड़ा** के अन्तर्गत **ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.9675** हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.9675** हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जनता द्वारा दिनांक 27/4/16 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जनता एवं बल्टी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम सचिव
(हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वि0ख0ताड़ीखेत
क्षेत्र–जनता
जिला–अल्मोड़ा

आशादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जनता,
वि0 ख0 – ताड़ीखेत,
जिला – अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित
(हस्ताक्षर)
सरपंच
वन पंचायत बल्टी
जिला – अल्मोड़ा

प्रारुप –30.4

दिनांक 27/5/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जनता

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	महेन्द्रसिंह S/o लक्ष्मण सिंह	महेन्द्रसिंह
	नन्दनसिंह [illegible] सिंह	N. Singh
	हिम्मतसिंह S/o प्रेमसिंह	हिम्मतसिंह
	पुष्करसिंह S/o भवानसिंह	पुष्करसिंह
	रघुनाथसिंह S/o [illegible]सिंह	रघुनाथसिंह
	खीमसिंह S/o भूपालसिंह	खीमसिंह
	दानसिंह S/o टीकासिंह	दानसिंह
	प्रेमसिंह S/o पानसिंह	प्रेमसिंह
	प्रतापसिंह S/o विजेसिंह	प्रतापसिंह
	धर्मादेवी W/o उमेदसिंह	रेखा देवी
	आशादेवी W/o तेजसिंह	आशा देवी
	नारायणसिंह S/o [illegible]	धर्मा देवी
	विरेन्द्रसिंह S/o राजेन्द्रसिंह	नारायणसिंह
	धर्मसिंह S/o कुन्दनसिंह	विरेन्द्र सिंह
	इन्द्रादेवी W/o [illegible]	
	रूपसिंह S/o [illegible]सिंह	

मदनसिंह S/o भवानसिंह — धर्मसिंह

गोपालसिंह S/o कुन्दनसिंह — इन्द्रा देवी

रूपसिंह

आशादेवी

[illegible]

मदनसिंह

[illegible] सिंह

धनसिंह

रतनसिंह

(विपिन चंद्र)
ग्राम पं[illegible] अधिकारी
क्षेत्र- जनता ताड़ीखेत
जिला - अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच
प्रधान
ग्राम पंचायत जनता,
वि० ख० - ताड़ीखेत
जिला - अल्मोड़ा

प्रारुप—30.3

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.00 कि.मी.) (0.9675है0)

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......कलानी......
तहसील ......सोमेश्वर......जिला ......अल्मोड़ा......

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **अल्मोड़ा** के अन्तर्गत **ईड़ा जौरासी मोटर मार्ग के विस्तार** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** हे0 सिविल सोयम भूमि **0.9675** हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **0.9675** हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग** विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......कलानी......द्वारा दिनांक 27/4/2016......को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......कलानी......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ......लो. नि. वि. ......प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं ।

ग्राम सचिव
(विपिन चन्द्र)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि.ख. ताड़ीखेत
जिला – अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम पंचायत
वि० ख० – ताड़ीखेत
जिला – अल्मोड़ा

प्रारुप –30.4

दिनांक 27/4/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कलौनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	महेन्द्र सिंह S/ लक्ष्मण सिंह	महेन्द्र सिंह
	मदन सिंह S/ धाम सिंह	M. Singh
	हिम्मत सिंह S/ प्रेम सिंह	हिम्मत सिंह
	पुष्कर सिंह S/o भावान सिंह	पुष्कर सिंह
	खुशाल सिंह S/ भगवत सिंह	खुशाल सिंह
	रवीन सिंह S/ भूपाल सिंह	रवीन सिंह
	प्रेम सिंह S/ पान सिंह	प्रेम सिंह
	प्रताप सिंह S/ बिजे सिंह	प्रताप सिंह
	आशा देवी W/ तेज सिंह	आशा देवी
	रमा देवी W/ महेन्द्र सिंह	रमा देवी
	धामो देवी W/ उमेद सिंह	धरमा देवी
	नारायण सिंह S/ चन्दन सिंह	नारायण सिंह
	विरेन्द्र सिंह S/ राजेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
	धन सिंह S/ कुवर सिंह	धन सिंह
	हंसा देवी W/ मिथ्यारी	हंसा देवी

रूप सिंह S/ श्री सिंह — रूप सिंह

मदन सिंह S/ किशन सिंह — मदन सिंह

दीवान सिंह S/ बचे सिंह — दीवान सिंह

धन सिंह S/ प्रताप सिंह — धन सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

भागा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जनता,
वि० ख० – [illegible]
जिला – [illegible]

[illegible]
सरपंच
वन पंचायत [illegible]
जिला – [illegible]

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— ग्रा० मुख्यमंत्री घोषणा सं. 905/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा सोमेश्वर के अन्तर्गत डीडा जौराली मोटर मार्ग के विस्तार का नवनिर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत डीडा जौराली मोटर मार्ग के विस्तार का नवनिर्माण (— x —हे0 आरक्षित वन भूमि, — x — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.9675 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.9675 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० —प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रानीखेत) की दिनांक 7.10.16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनीत कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री विनीत कुमार —उपजिलाधिकारी रानीखेत —अध्यक्ष
2— श्री [illegible] सिंह —उप प्रभागीय वनाधिकारी— रानीखेत —सदस्य
3— श्री सहा० स०क० अधिकारी —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— ताड़ीखेत —सदस्य/सचिव
4— श्री [illegible] —बी0डी0सी0 क्षेत्र — डीडा —सदस्य

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

डीडा जौराली मोटर मार्ग के विस्तार का नवनिर्माण —परियोजना हेतु 0.9675 हे0 वन भूमि

लोक निर्माण विभाग

— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत —द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र के अन्तर्गत ईड़ा गौराली मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.9675 है0 वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– रानीखेत
जनपद अल्मोड़ा

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद- अल्मोड़ा में ड्ंड्डा - जौरासी मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का नव निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित ड्ंड्डा जौरासी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.9675 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह **(Primitive Tribal Groups)** व आदिकालीन कृषि समुदाय **(Pre Agricultural Tribal Groups)** प्रभावित नही हो रहे हैं।

[signature]
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

[signature]
जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिलाधिकारी

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :...................................... **Dated:...22·11·16...**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that ..0.9675.. hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. ***P.D. PWD, Ranikhet*** Uttarakhand (Name of user agency) for Construction ***of*** ..Era- Jaurashi Motor Road....... (Purpose for diversion of forest land) in ***Almora*** district falls within jurisdiction of ..Jaida, Valwi...village(s) in ...Ranikhet...... Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..0.9675... Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

22/11
जिला अधिकारी

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is certified that- minutes of meeting for **Construction of Era- Jorasi motor Road (Extension)** under Provincial Division, PWD, Ranikhet in the state of Uttarakhand regarding FRA is as Following :-

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.9675 ***hec.*** of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature.

जिला

(Full name of the official seal of the District Collector)

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.......22.11.16...............at time.................................at Almora. in which application claiming rights of ....Forest Land........... area measuring 0.9675 hect. for the Construction of ......Era - Jaurashi Motor Road........................... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objcction/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date : 22.11.16

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा